

जयपुर, दिनांक : 5/3/2014

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पावरतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार शर्तों पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं -

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	101/05	श्री शिवराम सिंह कनिष्ठ लेखाकार लेखा शाखा क्षि आयुक्तालय, जयपुर	4/54, गांधीनगर (4/20, गांधीनगर से परिवर्तन)	31.8.2027
2.	31/07	श्री सीताराम गुर्जर शीघ्रलिपिक निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर	4/26, गांधीनगर	30.9.2036
3.	148/09	श्री इयाम लाल मीणा वरिष्ठ लिपिक गृह (गुप्त-11/अपील) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/28, गांधीनगर	31.7.2034
4.	58/09	श्री सतीश पारीक कनिष्ठ लिपिक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	4-बी-15, गांधीनगर, बहुमजिला (4/68, गांधीनगर से परिवर्तन)	30.11.2029
5.	15/2010	श्री राजू सिंह सोलंकी नर्स ग्रेड द्वितीय सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/51, गांधीनगर	30.6.2038
6.	68/2010	श्री रामनिवास सुमराड कनिष्ठ अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क, जयपुर	4/82, गांधीनगर	31.7.2030
7.	153/2010	श्री कृष्ण कुमार खण्डेलाल वरिष्ठ लिपिक प्रशासनिक सुधार (अनु-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/83, गांधीनगर	31.8.2023
8.	69/2010	श्री नीरज माथुर वरिष्ठ लिपिक जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर	4/94, गांधीनगर	31.7.2028
9.	70/2010	श्री उपेन्द्र बिहारी माथुर कनिष्ठ लिपिक संभागीय आयुक्त, जयपुर	4/100, गांधीनगर	31.5.2026
10.	71/2010	श्री रामनिवास जाट सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग, जयपुर	4/115, गांधीनगर	30.6.2039
11.	175/2010	श्री तारा चन्द्र जोशी वरिष्ठ लिपिक प्रमुख शासन सचिव, अल्प संख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/140, गांधीनगर	31.5.2041

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चौक उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिवत की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अपग्रेड आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिवत होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजावाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
 9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
 10. क्रम संख्या 4 पर अंकित आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (छ-1) विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), कृषि आयुक्तालय (लेखा शाखा), जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह विकासालय, जयपुर।
9. उपाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क, जयपुर (राज.)।
10. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, कृषि, जयपुर खण्ड, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेखा है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविं/जन स्वातं अभिविं/जयपुर विविविनिगम लिंग, गैंधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गैंधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ल्लेक्चरोर्ड पर चस्पा करावें।
17. सम्बन्धित कमचारीगण। क्रम संख्या 1 व 4 अंकित आवंटियों को भेजकर लेखा है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिवत कर इस विभाग को सूचित करावें।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

मृ॒५
(मुलालाल शर्मा/३१५)
सहायक शासन सचिव